

परिपत्र

विभाग: शिकायत सेल

04.08.2010

विषय: शिकायत निवारण नीति में संशोधन

कंपनी की शिकायत निवारण नीति में निम्नलिखित संशोधन किये गए हैं जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू करने के लिए परिचालित किया गया है। इरडा कृद्विनांक 27.07.2010 कृ पत्र सन्दर्भ संख्या 3/सी ए/जी/आर पी बी /10-11 कृ निर्देशानुसार जारी किए गए, इन संशोधनों को 01.08.2010 सृप्रभावी माना जायकृ और शिकायत का निराकरण समय सीमा में करकृआईआरडीए को अवगत कराया जायकृ।

<u>समय में परिवर्तन</u>	<u>मौजूदा नीति के अनुसार</u>	<u>आईआरडीए के दिशानिर्देश संशोधन</u>
पावती भकृके कृलिए	5 दिन	3 दिन
यदि शिकायत निवारण तत्काल हो जायकृती उसकृ पावती कृसाथ भकृके	5 दिन	3 दिन
शिकायत निवारण कृलिए अंततः	4 सप्ताह	2 सप्ताह
यदि बीमित की ओर सकृकोई जवाब समय सीमा कृ अंदर नहीं आता तो शिकायत को सामाप्त माना जायकृ	12 सप्ताह	8 सप्ताह